

'गप्पू' को झप्पी भरने वाला 'पप्पू' तो नहीं हो सकता झूठ की राजनैतिक स्वीकार्यता का सच

विवेक की विशेष रिपोर्ट

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान 'पप्पू' राहुल गाँधी ने नाटकीय अंदाज में झूठ के राजनीतिक अवतार मोदी को गले लगा लिया। इसे सामाजिक स्वीकार्यता भी मिली। शायद इस लिए भी क्योंकि भारत में ठगी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद भारत। ठगी की परम्परा अलग अलग स्वरूप में अलग अलग वर्ग में फलती फूलती रही है। इतिहास से होते हुए ठगी को आज के परिपेक्ष्य में देखने के लिए समाज की कुछ रोजमर्रा की सच्ची कहानियों से रूबरू होना जरूरी है।

समस्त भारत में ठगी के एक रूप को सामाजिक मान्यता प्राप्त रही है जिसे 'बहुरूपिया' के नाम से आज का भी समाज जानता है। ये बहुरूपिये भेष बदल कर ठगी करते आये हैं और समाज जानते समझते इन्हें बर्दाश्त करता रहा। साधु के भेष में दो बहुरूपियों ने सन 2014 में उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के चांडी गाँव में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर सारा घर लूट लिया था।

हरियाणा का मेवात जिला कटलू काटने के लिए पूरे भारत में मशहूर है। कटलू काटने के लिए किसी भी सोने सी दिखने वाली नकली ईंट या किसी अन्य 'चारा' इस्तेमाल में लाया जाता है और जब ग्राहक पैसों के साथ माल खरीदने आता है तो उसे लूट लिया जाता है। लूट का आलम ऐसा है कि कारों और मोटरसाइकलों से लदे ट्रक के ट्रक तक आज भी इस इलाके में लूटे जाते हैं और फिर उसी शोहरत की आड़ में माल बेचने के नाम पर बार-बार किसी न किसी को लूटा जाता है। प्रशासन आज तक इस लूट को रोक पाने में नाकाम है।

दिलीप कुमार और वैजयन्ती माला के अभिनय से सजी 1968 की फिल्म 'संघर्ष' में बनारस के पंडों की ठगी का सजीव चित्रण किया गया है। इसे आज के भारत में मथुरा, पुष्कर, अजमेर शरीफ, और बनारस जैसे धार्मिक स्थलों पर खुले तौर पर देखा जा सकता है, कैसे विदेशी पर्यटक और घरेलू पर्यटकों को धर्म के नाम पर मंदिरों और मस्जिदों में संगठित रूप से ठगा जाता है और इस धंधे को सामाजिक एवं राजनैतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिसके

लिए कल्ल करना भी आम बात है। सरकारी तंत्र ने धर्म के नाम की ठगी को आस्था, संस्कार सरीखे टीवी चैनलों के माध्यम से करने का लाइसेंस भी दिया हुआ है, जहाँ कोई निर्मल बाबा गोलगप्पे को लाल चटनी से खाने की सलाह भर से कटलू काट लेता है।

65 वर्षीय रामकरण मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे टेकनपुर गाँव में खेती का काम करते हैं। दो वर्ष पहले एयरटेल का मोबाइल नंबर लिया और न जाने कैसे एक कॉलर ट्यून खुद ही बजने लगी और अब हर माह 30 रुपये कट जाते हैं। 24 वर्षीय संजीव टेकनपुर में ही बीएसएफ के ट्रेनिंग अकादमी के बैरा का काम करते हैं, उनके आइडिया के फोन नंबर से रोज 5 रुपये खुद ब खुद कट जाते हैं। उपभोक्ता सेवा केंद्र में फोन लगा 10 मिनट तक जद्दोजहद करने पर पता चला कि इस समस्या से निजात पाने के लिए 3 रुपये प्रति मिनट की दर से उनके 30 रुपये कट चुके हैं। अर्थात् अब ठगी का मोदीकरण यानी डीजीटीलीकरण हो चुका है।

दो रोज पहले कन्नोज के एक गाँव में सांप की मणि ढूँढने के नाम पर सपेरों के गिरोह ने समूचे घर का माल साफ कर दिया, इस अंधविश्वास में सारा गाँव शामिल था और मणि के नाम पर पूरा का पूरा घर खोद डाला गया था।

दिल्ली के सरोजिनी नगर में सुनार की दुकान चलाने वाले 30 वर्षीय ललित आये दिन सबको ठगते ही हैं पर कुछ रोज पहले एक 18 वर्षीय लड़का सोने की चैन बेचने के नाम पर ललित को ठग गया। चैन के सिर्फ दोनों सिरे ही सोने के थे, जिस सूरत में एक सिरा काट कर जांचने पर सोना सिद्ध भी हुआ पर बाद में बाकी की सारी चैन नकली निकली।

केरल, के आलेपी जिले के निवासी, 34 वर्षीय बीजू बीएसएफ में सिपाही के तौर पर कार्यरत हैं और उनकी 33 वर्षीय पत्नी लीबी घर पर फेसबुक पर चैटिंग की शौकीन हैं। इसी फेसबुक पर एक भारतीय, विदेशी गोरा दोस्त बन कर इंग्लैंड से पार्सल भेजने का झाँसा दे 3 लाख रूपए ठग गया। जिसे बाकायदा लीबी ने ही चार खातों में जमा किया। खाता नंबर होने और घर तक की डीटेल निकाल कर देने पर भी पुलिस का स्वभाव भारतीय पुलिस जैसा ही रहा।



ऐसी कहानियाँ आपको आये दिन अखबारों और अपने आस पड़ोस से सुनने को मिल जाएंगी। कई बार हम गलियों सड़कों पर पकड़े जाने वाले ठगों को भीड़ के हवाले कर उनकी जान ले बैठते हैं और त्वरित न्याय प्राप्ति हो जाने की अनुभूति भी करते हैं। ग्राम पंचायतें गंगा कर मुंह काला करती हैं और पोल से बाँध कर जान ले लेती हैं।

ऐसा ही भीड़ तंत्र तब कहां चला जाता है जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ मोबाइल डाटा, गोरा बनाने की क्रीम, वजन कम करने की चाय, श्री लक्ष्मी यन्त्र के नाम पर अमीर बनाने का लालच देती हैं। रामदेव सरीखे भगवा व्यापारी राष्ट्रवाद के नाम पर ठगते हैं? क्यों सामाज्य इन ठगों की करतूतों पर भीड़ इकट्ठी नहीं करता?

गंभीर विषय है कि भारत का संविधान एक तरफ अंधविश्वास को रोकने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करता है तो वहीं अनुच्छेद 51 (क) मौलिक कर्तव्य के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रसारित करने की बात करता है। पर हमारी सरकारें बाकायदा टीवी चैनलों पर बाबाओं को ठगने और कंपनियों को आपको भ्रामक प्रचार से लूटने की छूट देती हैं। ये सुव्यवस्थित ठगी के व्यवसाय सरकारों

मेरे खुद के अनुभव से ठगी को जानें

इसी वर्ष के जनवरी माह की कड़कती ठण्ड में दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग, हाथ और चेहरे पर सफेदी के छीटे, कपड़े तार तार और पैर में टूटे जूते, अचानक मिर्गी के दौरों का आघात और मुंह के बल सड़क पर गिरता है। 25 गज के मुर्गी के दरबों वाले घरों से निकल कर भीड़ उसे घेरे खड़ी है। पानी का स्पर्श मिलते ही बुजुर्ग होश में आता है और उसकी व्यथा सुन मेरे समेत सबके दया का भण्डार कुछ ऐसा खुला कि उत्तराखंड के गढ़वाल तक जाने का किराया, खाना और कपड़ों तक की व्यवस्था हो गई। शाम को फिर वही व्यक्ति किसी दूसरी गली में ठीक पहले जैसे ही बेहोश पड़ा मिला और माजरा साफ था कि ये भी एक ठग है। मेरे क्रोध की सीमा पार होने ही वाली थी कि ये सोच कर ठिठक गया, क्या कारण होंगे जो एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को ये मार्ग अपना पड़ा होगा? और उसे वहाँ से चुपचाप अपना माल समेत चले जाने के लिए मैंने कहा।

और मीडिया की आय के साधन हैं और वे खुद भी इस ठगी में शामिल हैं।

नोटबंदी जैसी ठगी खुद भारत सरकार ने की और इसके बावजूद समाज का एक बड़ा वर्ग इससे खुश है तो समझा जा सकता है कैसे समाज को सब ठग अपने अपने वर्ग के मुताबिक लूटने में सफल रहे हैं। इनसे न्याय दिला पाना न्यायालयों के लिए भी गैरजरूरी जान पड़ता है। पर, सड़क के ठग को सजा देने के लिए भीड़ जमा होती ही है क्योंकि वो व्यवस्थित लूट का हिस्सा

कम और व्यक्तिगत लूट का ज्यादा होता है। अंत में पाठकों के लिए एक सवाल कि क्यों 32 के 32 गुण मिला कर विवाह कराने वाले पंडित को विवाह के विफल होने के उपरान्त भी हम अगले विवाह को तय कराने के लिए आमंत्रित करते हैं? उसके लिए उपभोक्ता अदालत में या जिला न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया जाना चाहिए या त्वरित न्याय के लिए भीड़ तंत्र के हवाले कर देना चाहिए?

कुछ भी कहिये, झूठ को झप्पी पाने वाला 'गप्पू' तो नहीं हो सकता!

जंग एक पत्रकार के इंसाफ के लिए जो उन्नाव रेपकांड सामने लाया था

मैं वीरेंद्र यादव उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ और अभी तक न्यूज नेशन चैनल का पत्रकार था लेकिन मौजूदा समय में एक फ्री लॉन्सर पत्रकार हूँ और उन्नाव प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी हूँ।

दरअसल मेरी ये लड़ाई उन सभी पत्रकार साथियों के लिए है जो दिन रात तपती धूप में बारिश में और कंपा देने वाली ठंड में काम करके ना सिर्फ लोगों को इंसाफ दिलाते हैं बल्कि अपने संस्थान को भी उंचाईयों पर ले जाते हैं लेकिन हमारी इस कड़ी मेहनत के बाद हमारा संस्थान हमें देता क्या है? एक चपरासी से भी कम वेतन और तो और जब मन करता है तो अपने किसी फायदे के लिए हमें बाहर भी निकाल देता है। सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारा ऐसा शोषण होता रहेगा?

ऐसी ही घटना हमारे साथ घटी! दरहसल उन्नाव बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप कांड मामले से आप सभी अवगत होंगे। इस खबर को सबसे पहले मैंने कवर करके पीडिता की आवाज को उठाया था और चैनल पर खबर चलाई थी। इस खबर की कवरेज करने के दौरान विधायक के गुर्गों ने हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मैंने

बिना डरे निष्पक्षता से पीडिता की आवाज और बीजेपी विधायक और उसके भाई की करतूत का सच, दुनिया के सामने लाया। चैनल ने भी खबर से खूब टीआरपी बटोरी और इस खबर ने सत्ता रूढ़ बलात्कारी विधायक और उसके भाई को जेल पहुंचा दिया, लेकिन मेरी इस खबर ने लखनऊ से लेकर दिल्ली में बेटी बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई। नतीजन विधायक से लेकर पूरी सरकार के टारगेट पर मैं आ गया।

खबर के दौरान विधायक के गुर्गों ने मुझे मारने की योजना भी बनाई, लेकिन मुझे खबर लगते ही मैंने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर शासन सत्ता के सभी अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी जिससे उनकी ये योजना कामयाब नहीं हुई। फिर क्या था, सभी ने साजिश रचकर मुख्यमंत्री योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार से चैनल मालिक संजय कुलश्रेष्ठ को फोन कराया और मृत्युंजय कुमार ने मुझ पर फुजी आरोप लगाकर मुझे चैनल से बाहर निकालने का दबाव बनाया और सत्ता के आगे झुक गया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और चैनल मालिक ने मुझे बिना वजह बताये चैनल से बाहर कर दिया।

मैं लगातार पृष्ठता रहा मेरा कसूर क्या है, लेकिन चैनल ने मेरी एक न सुनी। चाहता तो अन्य दूसरे चैनल जॉइन कर सकता था लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा कि ये तो फुजी आरोपों को स्वीकारना होगा। आखिर कब तक हम पत्रकारों का शोषण होता रहेगा? कब तक ये मीडिया संस्थान हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे और शासन सत्ता की रखैल बनकर काम करेंगे?

मेरी खबर पर तो सीबीआई की रिपोर्ट ने भी मुहर लगा दी तो फिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मुझे सच दिखाने की सजा दी गयी? रेप पीडिता को इंसाफ तो मिल गया मुझे कब मिलेगा? बस इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ, वो मेरे किसी अन्य भाई के साथ ना हो, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे और इसको इतना शेयर करें कि उन संस्थानों को शर्मसार होना पड़े जो हम पत्रकारों को कंडोम समझते हैं और ऐसी सरकार का भी सच लोग जान सकें जो अपने बलात्कारी विधायक पर कार्यवाही करने की हिम्मत ना जुटा सकी और एक पत्रकार की नौकरी छीन ली।

